



डभरा, दिनांक 30.06.2026

// पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सूचना //

इस महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नवीन/नवीनीकरण छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु पोर्टल चालू हो गया है। छात्र-छात्राएँ अपने स्वयं का खाता भारतीय स्टेट बैंक या कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलवा लेवें तत्पश्चात् निम्नांकित प्रमाण पत्रों तथा स्वयं के खाता क्रमांक के साथ ऑनलाईन कराकर हार्डकॉपी में प्रमाण पत्रों को संलग्न कर दिनांक 30.08.2026 तक छात्रवृत्ति प्रभारी के पास जमा करें। सत्र 2026-27 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जाना है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखें कि उनका बचत खाता एक्टिव एवं आधार सीडेड हो।


वेबसाइट लिंक :- <https://postmatric-scholarship.cg.nic.in>

संलग्न दस्तावेजों के क्रम की सूची:-

1. ऑनलाईन हार्डकॉपी में नवीनतम पासपोर्ट फोटो।
2. आय प्रमाण पत्र सत्र 2025-26 की मूल प्रति।
3. लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त ऑनलाईन जाति एवं एवं निवास प्रमाण पत्र जो स्थायी हो, मान्य होगा।
4. आधार कार्ड की छायाप्रति।
5. बैंक पासबुक की छायाप्रति।
6. 10वीं, 12वीं एवं पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की छायाप्रति।
7. बैंक खाता में आधार कार्ड के साथ लिंक कराने का शपथ पत्र।
8. नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र यह कि मेरे माता/पिता शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत नहीं हैं।
9. प्रवेश रसीद की छायाप्रति।

नोट:-

1. अन्य पिछड़ा वर्ग आय 100000.00 (एक लाख) से अधिक होने पर छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
2. छात्रावास में रहकर अध्ययन करने वाले छात्र हॉस्टलर का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
3. आवेदक का नाम हार्डकॉपी, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक में एक समान हो।
4. छात्र-छात्राओं को एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
5. छात्र-छात्राओं बचत खाता एक्टिव एवं आधार सीडेड हो और आधार नंबर पर पंजीकृत मोबाईल नंबर को दर्ज करें।
6. हार्डकॉपी ऑनलाईन करने के बाद सात दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा छात्रवृत्ति आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
7. विद्यार्थी नया मोबाईल नंबर देता है तो यथाशीघ्र आधार कार्ड से लिंक कराना होगा।
8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों ओ.टी.आर. करना अनिवार्य है।
9. उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत जिनका खाता नंबर आधार सीडिंग नहीं हुआ है। वे भी ओ.टी.आर. प्राप्त कर सकते हैं। परंतु छात्रवृत्ति आवेदन करने से पूर्व संचालित बैंक खाता नंबर को आधार सीडिंग करा लेवें अन्यथा आवेदन निरस्त हो जायेगा।
10. फेस सत्यापन करते समय आँखों को खोलें एवं बंद करें अर्थात् पलक झपके अन्यथा उसमें वेरिफाई नहीं होगा। साथ ही उसमें दिये गये गोले का रंग को हरा होने दें।
11. फेस सत्यापन पूर्ण हो जाने के बाद पुनः ओ.टी.आर. प्राप्त होगा जिसे विद्यार्थी नोट कर सुरक्षित रखें। यही ओ.टी.आर. नंबर छात्रवृत्ति हेतु भविष्य में भी काम आयेगा। इसी ओ.टी.आर. नंबर से विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन लॉक कर लेवें।


डॉ. पी.आर. कठोतिया
प्राचार्य
शासकीय स्नातक महाविद्यालय, डभरा
जिला-सक्ती (छ.ग.)